



Neutral Citation No. - 2026:AHC:65516

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 10382 वर्ष 2026

चिराग जैन

....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

...प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता: गरुण पाल सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता श्री गरुण पाल सिंह और राज्य-प्रतिवादियों के विद्वान ए.जी.ए. श्री वी.पी. सिंह की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के तहत यह जमानत याचिका आवेदक चिराग जैन की ओर से दायर की गई है, जिसमें उन्हें मुकदमा अपराध संख्या 894/2025 में जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना की गई है, जिसमें बीएनएस की धारा 318(4), 336(3), 338, 340(2), 3(5) और सार्वजनिक जुआ अधिनियम की धारा 13 के तहत मामला दर्ज है, जो पुलिस स्टेशन बिसरख, जिला गौतम बुद्ध नगर में मुकदमे की सुनवाई के दौरान दर्ज किया गया है।

3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि सह-आरोपी प्रथम मिश्रा को पहले ही इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा **आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 9563/2026** के तहत जमानत दी जा चुकी है। यह भी बताया गया है कि एक अन्य सह-आरोपी श्रीमती कीर्ति को भी इस न्यायालय द्वारा दिनांक 19.02.2026 के आदेश के तहत **आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 4303/2026** के तहत जमानत दी जा चुकी है। आवेदक ने आगे कहा है कि आवेदक की भूमिका उन सह-आरोपियों की भूमिका से अलग नहीं है जिन्हें पहले ही इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 14.11.2025 से जेल में बंद है और वचन देता है कि यदि उसे जमानत दी जाती है तो वह उसका दुरुपयोग नहीं करेगा। यह भी बताया गया है कि न्यायालय में लंबित मामलों की भारी संख्या को देखते हुए, मुकदमे के शीघ्र निष्कर्ष की कोई संभावना नहीं है।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने आवेदक की जमानत याचिका का विरोध किया है।
5. एफआईआर के अनुसार, दो चेकबुक, तीन मोबाइल फोन और 5,000 रुपये आवेदक के कब्जे से बरामद किए गए हैं, लेकिन सह-आरोपी प्रथम मिश्रा और श्रीमती कीर्ति को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पहले ही जमानत दी जा चुकी है। आवेदक 14.11.2025 से जेल में बंद है और उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है।
6. सभी तथ्यों, मामले की प्रकृति और अभिलेख में दर्ज साक्ष्यों पर विचार करने के बाद, और मामले की खूबियों पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए उपयुक्त मामला पाता हूं। इसलिए, वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।
7. उपरोक्त मामले में आरोपी चिराग जैन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानती पेश करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप हों।
 - (i) आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी प्रकार का प्रलोभन, धमकी, या वादा नहीं करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
 - (ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव/धमकी नहीं देगा।

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iii) आवेदक स्वयं अवर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहेगा: (i) मामले की शुरुआत, (ii) आरोप तय करना और (iii) बी.एन.एस.एस. की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना।

(iv) आवेदक इस आशय का वचन पत्र दाखिल करेगा कि वह साक्ष्य के लिए निर्धारित तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा जब गवाह निर्णय न्यायालय में उपस्थित हों।

(v) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर अवर न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर, यह जमानत रद्द करने का आधार होगा।

9. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत याचिका के निर्धारण के उद्देश्य तक ही सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले की खूबियों पर राय के रूप में नहीं माना जाएगा। अवर न्यायालय पूरी तरह से स्वतंत्र होगी प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित।

26 मार्च, 2026

आशीष/-

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा)

Translated version . Not for legal use.

अस्वीकरण :- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है | सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।